

सही
द्वारा

2016/15
पत्रावली पेश हुई। वकील द्वारा कार्य
स्थान/दिनांक... 20/08/2023
को पेश हो।

हस्ताक्षर/सिहर

29/08

पत्रावली को हुई। वकील उभयपक्ष उपरोक्त
वस्तुपत्रावली दिनांक 02/08/2023 को पेश की।

उप सचिव/सचिवकारी
बंदोबस्त (सैदा)

निवेदन/आदेश
(सही) इतिहास

02/08/23

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपरोक्त प्राथमिक
अत्यापी निवेदानापर वकील उभयपक्ष सहम सुनी।
वस्तुपत्र मन्न किया। प्रा.पत्र, जवाब प्रा.पत्र, निवेदन
वस्तुपत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवरुद्ध
किया। मूल दावा इतरकार हउ खं हुम्म इतराई
दस्तावेजात है ताद की सुनवाई के दौरान वास्तु
सुनि संमनाहमत पैदा करने के अंदेगाउं मध्यनपर
उभयपक्षगारान को पारदर्शक प्रकरण में जारी
अंतरिम अत्यापी निवेदाना को उन्मुक्त किया जाना
प्रति प्रतीत होता है अतः वकील उभयपक्ष वस्तु
पर मन्न करने व प्रा.पत्र, जवाब प्रा.पत्र व पत्रावली
में संलग्न दस्तावेजात के अवरुद्ध के आधारपर
प्रकरण में जारी अंतरिम अत्यापी निवेदाना अतिश
दिनांक 11/10/2023 को ताउमना मूलवाद उन्मुक्त
कर उभयपक्षगारान को मौका व रिशॉर्ट की यथास्थिति
बनाये रखने हेतु प्रविधिकित किया जाता है पत्रावली
मुहलसुमात हैत बाद तकमील हमजिग मूलवाद रहे।

अप ह
02/08/23

हस्ताक्षर/सिहर